

न्यायालय सहायक कलक्टर ,रानीवाडा, जिला-जालोर  
पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या -62/2021

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. रमेशकुमार पुत्र नाताराम जाति भील निवासी ओपा की ढाणी (करडा) तहसील रानीवाडा जिला जालोर		1. मृतक अमिया पत्नि चमना के कायम मुकाम 1/1. कृष्ण पुत्र चमना 1/2 छगना पुत्र चमना 1/3. रायमल पुत्र चमना 2. मृतक केसी पत्नि हरजी के कायम मुकाम 2/1. बगदा पुत्र हरजी 3. चन्नीदेवी पत्नि भुपाराम 4. जेमता पुत्र भुपाराम 5. प्रभा पुत्र भुपाराम 6. मसरा पुत्र भुपाराम 7. जगसी पुत्र भुपाराम 8. नानजी पुत्र केसा 9. नारणा पुत्र खुमा 10. भमरा पुत्र छोगा 11. महादेवा पुत्र पूनमा 12. सन्तोष पत्नि पूनमा 13. वगता पुत्र राजा 14. मृतक सादुला पुत्र राजा के कायम मुकाम:- 14/1. हेमा पुत्र सादुला 14/2. मफा पुत्र सादुला 14/3. दीपा पुत्र सादुला 14/4. बाबु पुत्र सादुला समस्त जातियान भील निवासी ओपा की ढाणी (करडा) 15. श्रीमान उपपंजीयक महोदय रानीवाडा 16. श्रीमान तहसीलदार रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :-

1. वादी अधिवक्ता श्री रमेश कुमार गर्ग।
2. प्रतिवादी संख्या 16 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा।

—: निर्णय :-

दिनांक 18.01.2022

1. वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत धारा 53, 188 बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। जिसे न्याय संक्षेप



में इस प्रकार हैं कि वादी की खातेदारी आराजी मौजा करडा में आई हुई है उनके खसरा नंबर 1682 रकबा 0.02 हैक्टेयर, 1684 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 1685 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 1687 रकबा 2.66 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1688 रकबा 1.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1689 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1690 रकबा 0.77 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3389 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3408 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3409 रकबा 2.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3410 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3411 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3412 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3413 रकबा 1.67 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3415 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3416 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3417 रकबा 1.44 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3728 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3729 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3730 रकबा 1.28 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3742 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3743 रकबा 0.61 जुमले खसरा नंबर 22 रकबा 12.83 हैक्टेयर में वादी का 1/24 हिस्सा आता है। यह कि राजस्व रेकर्ड में अनुसार उक्त समस्त खसरों वादी का 1/24 हिस्सा आता है मौखिक बंट के अनुसार वादी खसरा नंबर 3409 रकबा 0.07 हैक्टेयर व खसरा नंबर 3389 रकबा 0.07 में वादी कब्जा काश्त है। उक्त आराजी संपुर्ण खसरानों का 1/24 हिस्सा बंट कर के दिया गया है जो उत्तर दिशा में परिशिष्ट में हरे रंग से दर्शाया गया है। राजस्व रेकर्ड में बंटवाडा नहीं होने से वादी सरकारी योजना के लाभ से वंचित हो गया है। अतः दावा बाबत् खातेदारी हक स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना अनिवार्य हो गया है।

2. वादी का सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होने हेतु तथा अन्य संपुर्ण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु राजस्व रेकर्ड में बंटवाडे की आवश्यकता है अतः उक्त दोनों खसरानों का राजस्व रेकर्ड तथा उक्त बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र पेश करना अनिवार्य हो गया है। वादी व प्रतिवादीगण मौके पर मौखिक बंटवाडे के अनुसार कब्जा काश्त है ऐसी स्थिति में राजस्व बंटवाडा सिर्फ औपचारिकता रह गया है। अतः न्यायहित में वादी को कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रेकर्ड में 1/24 हिस्सा निर्धारित कर देना उचित है। वादी का आवागमन खसरा नंबर 3389 की माट से होकर होता है जो नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है। विनायवाद दावा तब उत्पन्न हुआ जब 1 माह पूर्व स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा पशुओं के शेड व अन्य सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होने बाबत् अपना राजस्व रेकर्ड में हिस्सा अलग करने हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी ने कहा लेकिन मौके पर राजस्व बंटवाडा नहीं होने से सरकारी योजनाओं से वादी का वंचित रह गये अतः वर्तमान में वादकरण निरन्तर जारी है।
3. वादी बनाम प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री सादिर फरमावे कि सरहद मौजा ओपा की ढाणी के नवीन खसरा नंबर 1682 रकबा 0.02 हैक्टेयर, 1684 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 1685 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 1687 रकबा 2.66 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1688 रकबा 1.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1689 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1690 रकबा 0.77 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3389 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3408 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3409 रकबा 2.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3410 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3411 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3412 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3413 रकबा 1.67 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3415 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3416 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3417 रकबा 1.44 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3728 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3729 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3730 रकबा 1.28 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3742 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3743 रकबा 0.61 जुमले खसरा नंबर 22 रकबा 12.83 हैक्टेयर में वादी का 1/24 हिस्सा आता है। लेकिन वादी मौखिक बंट के अनुसार खसरा नम्बर

3409 रकबा 2.06 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 3389 रकबा 0.7 हैक्टेयर में कुल खसरानों का 1/24 हिस्सा कायम कर परिशिष्ट में हरे रंग दर्शाये अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में नवीन खसरा नम्बर तथा नवीन नक्शा ट्रेस में खातेदारी आराजी अलग से अमल दरामद की तहरीर भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा के नाम जारी करावें। तथा राजस्व रेकॉर्ड में अलग से हिस्सा नवीन खसरान करने के पश्चात प्रतिवादीगण कब्जा काश्त में दखलंदाजी न तो खुद करे तथा नही अन्य से करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा भी जारी करावें।

4. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। प्रतिवादी संख्या 1 से 14/4 की ओर से बाद तामील सम्मन अनुपस्थित होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 15 व 16 की ओर से राजपेरोकार उपस्थित।
5. दिनांक 11.01.2022 को न्यायालय द्वारा वादी अधिवक्ता के निवेदन पर खातेदारो के हक हिस्से अनुसार मौजा ओपा की ढाणी पटवार हल्का करडा के खसरा नम्बर 1682, 1684, 1685, 1687, 1688, 1689, 1690, 3389, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3415, 3416, 3417, 3728, 3729, 3730, 3742, 3743 कुल खसरा 22 रकबा रकबा 12.83 हैक्टेयर के मीट्स एण्ड बाउण्ड के जरिये बंटवाडा प्रस्ताव के प्राथमिक डिक्री के आदेश तहसीलदार रानीवाडा को किये गये। तथा तहसीलदार रानीवाडा को पत्रांक/कोर्ट/2022/18 दिनांक 12.01.2022 के द्वारा तहसीलदार रानीवाडा से प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा कब्जा काश्त अनुसार बंटवारा प्रस्तावित कर पत्रांक/कोर्ट/2022/142 दिनांक 17.01.2022 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किये हैं।
6. तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव पर को उपस्थित पक्षकारान को पढकर सुनाया गया। वादी अधिवक्ता को सुना गया, जिनके द्वारा किसी प्रकार की विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं करते हुए सहमति प्रकट की एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। अतः तहसीलदार रानीवाडा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 14 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्टे0 में	किस्म	लगान राशि
1.	रमेशकुमार पुत्र नाताजी जाति भील सा. देह खातेदार	3409	2.060	0.5345	जा.सो.	5.58
2.	अमिया पत्नि चमना हिस्सा 128300/2950920, कृष्ण पुत्र चमना हिस्सा 128300/2950920, केसी पत्नि हरजी हिस्सा 128300/1967280,	1682	0.02	0.02	बा.सो.	0.04
	चुन्नीदेवी पत्नि भूपाराम हिस्सा 128300/7377300, छगना पुत्र चमना	1684	0.15	0.15	बा.सो.	0.30
		1685	0.060	0.06	बा.सो.	0.12

हिस्सा 128300/2950920, जगसीराम पुत्र भूपाराम हिस्सा 128300/7377300, जेमताराम पुत्र भूपाराम हिस्सा 128300/7377300, नानजी पुत्र केशा हिस्सा 128300/737730, नारणा पुत्र खूमा हिस्सा 128300/1475460, प्रभाराम पुत्र भूपाराम हिस्सा 128300/7377300, बगदा पुत्र हरजी हिस्सा 128300/1967280, भमरा पुत्र छोगा हिस्सा 128300/2950920, मसराराम पुत्र भूपाराम हिस्सा 128300/7377300, महादेवाराम पुत्र पूनमा हिस्सा 128300/1967280, रायमल पुत्र चमना हिस्सा 128300/2950920, वगता पुत्र राजा हिस्सा 128300/1475460, सन्तोषदेवी पत्नि पूनमा हिस्सा 128300/1967280, सादुला पुत्र राजा हिस्सा 128300/1475460 समस्त जातियान भील सा. देह खातेदार	1687	2.66	2.66	बा.सो.	5.32
	1688	1.13	1.13	बा.सो.	2.26
	1689	0.01	0.01	गै.मू.बेरा	—
	1690	0.77	0.77	बा.सो.	1.54
	3389	0.07	0.07	बा.प्र.	0.28
	3408	0.03	0.03	गै.मू. ढाणी	—
	3409	2.06	0.32	चा.सो.	5.12
			1.2055	जा.सो.	4.86
	3410	0.01	0.01	गै.मू.बेरा	—
	3411	0.02	0.02	गै.मू. सडा	—
	3412	0.02	0.02	गै.मू. ढाणी	—
	3413	1.67	0.35	चा.सो.	5.60
			1.32	जा.सो.	7.92
	3415	0.02	0.02	गै.मू. ढाणी	—
	3416	0.02	0.02	गै.मू. ढाणी	—
	3417	1.44	0.27	चा.सो.	4.32
			1.17	जा.सो.	7.02
	3728	0.70	0.70	बा.सो.	1.40
	3729	0.04	0.04	गै.मू. ढाणी	—
	3730	1.28	1.28	बा.सो.	2.56
3742	0.04	0.04	बा.सो.	0.08	
3743	0.61	0.61	बा.सो.	1.22	

7. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 14 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद

करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 14 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)  
सहायक कलेक्टर  
रानीवाड़ा जिला-जालोर

निर्णय आज दिनांक 18.01.2022 से सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर  
रानीवाड़ा जिला-जालोर

**डिक्री व मुकदमें इब्तदाई**  
(आर्डर 20, रूल्स 6-7, जाब्ता दीवानी)  
**(civil procedure code, Appendix "D"-1)**  
**अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर**  
पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
रमेशकुमार पुत्र नाताराम जाति भील निवासी ओपा की ढाणी (करडा) तहसील रानीवाडा जिला जालोर		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. मृतक अमिया पत्नि चमना के कायम मुकाम 1/1. कृष्ण पुत्र चमना 1/2 छगना पुत्र चमना 1/3. रायमल पुत्र चमना</li> <li>2. मृतक केसी पत्नि हरजी के कायम मुकाम 2/1. बगदा पुत्र हरजी</li> <li>3. चन्नीदेवी पत्नि भुपाराम</li> <li>4. जेमता पुत्र भुपाराम</li> <li>5. प्रभा पुत्र भुपाराम</li> <li>6. मसरा पुत्र भुपाराम</li> <li>7. जगसी पुत्र भुपाराम</li> <li>8. नानजी पुत्र केसा</li> <li>9. नारणा पुत्र खुमा</li> <li>10. भमरा पुत्र छोगा</li> <li>11. महादेवा पुत्र पूनमा</li> <li>12. सन्तोष पत्नि पूनमा</li> <li>13. वगता पुत्र राजा</li> <li>14. मृतक सादुला पुत्र राजा के कायम मुकाम:- 14/1. हेमा पुत्र सादुला 14/2. मफा पुत्र सादुला 14/3. दीपा पुत्र सादुला 14/4. बाबु पुत्र सादुला</li> <li>समस्त जातियान भील निवासी ओपा की ढाणी (करडा)</li> <li>15. श्रीमान उपपंजीयक महोदय रानीवाडा</li> <li>16. श्रीमान तहसीलदार रानीवाडा</li> </ol>

**अन्तर्गत धारा 53 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955**

**राजस्व वाद संख्या 62/2021**

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादी की ओर से वकील श्री रमेश कुमार गर्ग उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 15 व 16 राजपेरोकार उपस्थित, तथा प्रतिवादी सं0 1 से 14/4 अनुपस्थित रहने से एक पक्षकीय कार्यवाही होने से अनुपस्थित। मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार रानीवाडा द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 14 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्टे0 में	किस्म	लगान राशि
1.	रमेशकुमार पुत्र नाताजी जाति भील सा. देह खातेदार	3409	2.060	0.5345	जा.सो.	5.58
2.	अमिया पत्नि चमना हिस्सा 128300/2950920, कृष्ण पुत्र चमना हिस्सा 128300/2950920, केसी पत्नि हरजी हिस्सा 128300/1967280, चुन्नीदेवी पत्नि भूपाराम हिस्सा 128300/7377300, छगना पुत्र चमना हिस्सा 128300/2950920, जगसीराम पुत्र भूपाराम हिस्सा 128300/7377300, जेमताराम पुत्र भूपाराम हिस्सा 128300/7377300, नानजी पुत्र केशा हिस्सा 128300/737730, नारणा पुत्र खूमा हिस्सा 128300/1475460, प्रभाराम पुत्र भूपाराम हिस्सा 128300/7377300, बगदा पुत्र हरजी हिस्सा 128300/1967280, भमरा पुत्र छोगा हिस्सा 128300/2950920, मसराराम पुत्र भूपाराम हिस्सा 128300/7377300, महादेवाराम पुत्र पूनमा हिस्सा 128300/1967280, रायमल पुत्र चमना हिस्सा 128300/2950920, वगता पुत्र राजा हिस्सा 128300/1475460, सन्तोषदेवी पत्नि पूनमा हिस्सा 128300/1967280, सादुला पुत्र राजा हिस्सा 128300/1475460 समस्त जातियान भील सा. देह खातेदार	1682	0.02	0.02	बा.सो.	0.04
		1684	0.15	0.15	बा.सो.	0.30
		1685	0.060	0.06	बा.सो.	0.12
		1687	2.66	2.66	बा.सो.	5.32
		1688	1.13	1.13	बा.सो.	2.26
		1689	0.01	0.01	गै.मू.बेरा	—
		1690	0.77	0.77	बा.सो.	1.54
		3389	0.07	0.07	बा.प्र.	0.28
		3408	0.03	0.03	गै.मू. ढाणी	—
		3409	2.06	0.32	चा.सो.	5.12
					1.2055	जा.सो.
		3410	0.01	0.01	गै.मू.बेरा	—
		3411	0.02	0.02	गै.मू. सडा	—
		3412	0.02	0.02	गै.मू. ढाणी	—
					चा.सो.	5.60
		3413	1.67	0.35	जा.सो.	7.92
गै.मू. ढाणी	—					
3415	0.02	0.02	गै.मू. ढाणी	—		
3416	0.02	0.02	गै.मू. ढाणी	—		

		3417	1.44	0.27	चा.सो.	4.32
				1.17	जा.सो.	7.02
		3728	0.70	0.70	बा.सो.	1.40
		3729	0.04	0.04	गै.मू. ढाणी	—
		3730	1.28	1.28	बा.सो.	2.56
		3742	0.04	0.04	बा.सो.	0.08
		3743	0.61	0.61	बा.सो.	1.22

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 14 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मीमोया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 14 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 18.01.2022 को जारी की गई।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)

सहायक कलेक्टर  
रानीवाड़ा जिला-जालोर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	0	00
स्टाम्प वकालतनामा	2	00	जवाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीष्जर	0	00	फीस कमीष्जर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
<b>मौजाना</b>	<b>4</b>	<b>00</b>	<b>मौजाना</b>	<b>0</b>	<b>00</b>